सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस संख्याः 6392 / 1024 / 2016 दिनांकः– 08.12.2016

के मामले में

डा. केदार कुमार मंडल, D608
हिन्दी विभाग, दयाल सिंह कालेज,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
लोधी रोड, नई दिल्ली ..... शिकायतकर्ता

बनाम

प्राचार्य,
दयाल सिंह कॉलेज, D609
दिल्ली विश्वविद्यालय,
लोधी रोड, नई दिल्ली .... प्रतिवादी

सुनवाई की तारीखः 16.11.2016

उपस्थितः
1. डॉ. केदार कुमार मंडल, शिकायतकर्ता ।
2. प्रतिवादी अनुपस्थित ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, डॉ. केदार कुमार मंडल, 80 प्रतिशत अस्थिबाधित व्यक्ति ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत उनके कालेज से उनको मोटोराइज्ड व्हील चेयर से संबंधित दिनांक रहित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया, जोकि इस न्यायालय में 13.05.2016 को प्राप्त हुआ ।

2. शिकायतकर्ता का कहना है कि वे दयाल सिंह कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से साकेत सिटी अस्पताल के दो बार के अनुशंसा के आधार पर कालेज प्राचार्य से भारत सरकार के नियमानुसार एक मोटोराइज्ड व्हीलचेयर की मांग कर रहे हैं । कालेज प्रशासन उन्हें यह व्हीलचेयर देने से मना कर रहा है । विलंब के कारण उन्होंने दैनिक जागरण में इसकी रिपोर्टिंग करवाई । कालेज प्रशासन ने उल्टा उन पर यह आरोप लगा दिया कि वे इसकी मांग अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, जो तथ्यहीन है । उन्होंने कालेज को यह कभी नहीं लिखा कि यह उन्हें व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चाहिए । प्राचार्य के उक्त आरोप के कारण वे मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें अतिशीघ्र मोटोराइज्ड व्हीलचेयर दिलाई जाए ।

....2 / –

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

3. मामला प्रतिवादी के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 27.06.2016 के द्वारा उठाया गया ।

4. प्रतिवादी ने पत्र संख्या पी/पीए/डीएससी/479 दिनांक 11.07.2016 द्वारा सूचित किया कि कालेज अपने पत्र दिनांक 19.04.2016 के द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस बारे में और व्यय को पूरा करने के संबंध में अनुदान अनुमोदन हेतु पहले ही लिख चुका है । डॉ केदार कुमार मंडल द्वारा मोटोराइज्ड व्हील चेयर की मांग के अतिरिक्त, कालेज ने समान अवसर प्रकोष्ठ के साथ परामर्श कर कालेज में पहुंच के समाधान हेतु आवश्यकता की सूची प्रस्तुत कर दी है । आयोग को प्रस्तुत की गई सूची में शिक्षण अधिगम एड्स, मोटर पहिया कुर्सी, सीढ़ी लिफट कुर्सी और मानव संसाधन भी शामिल है ।

5. शिकायतकर्ता ने अपने रिज्वाइंडर दिनांक 11.08.2016 द्वारा निवेदन किया है कि कालेज ने सारा उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर मढ़ दिया है,जबकि कालेज के समान अवसर प्रकोष्ठ से कालेज फंड से मोटोराइज्ड व्हील चेयर देने को कहा है। कालेज प्रशासन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर जिम्मेदारी डालकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है । उनका कहना है कि वह प्रतिवादी के जवाब से संतुष्ठ नहीं है और अतिशीघ्र कालेज प्रशासन को न्यायालय बुलाकर उनकी समस्या को हल किया जाए ।

6. प्रतिवादी के पत्र दिनांक 11.07.2016 तथा दिनांक 11.08.2016 के मद्देनज़र सुनवाई दिनांक 16.11.2016 को निर्धारित की गई ।

7. दिनांक 16.11.2016 को प्रतिवादी की ओर से सुनवाई में भाग लेने के लिए कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही उन्होंने सुनवाई में भाग लेने में अपनी असमर्थता के बारे में सूचित किया जबकि सुनवाई के लिए सूचना इस न्यायालय के पत्र दिनांक 05.10.2016 को स्पीड डाक से भेजी गई थी ।

8. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में लिखित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मेरी विकलांगता 80 प्रतिशत है और मैं वर्ष 2005 से स्थायी रूप से उपरोक्त कालेज के हिन्दी विभाग में अध्यापन कार्य कर रहा हूं । दिनांक 7.10.2015 को साकेत के सिटी अस्पताल के डा. गौरव भारद्वाज ने सलाह दी कि मुझें शीघ्रातिशीघ्र मोटराइज्ड व्हील चेयर का उपयोग करना चाहिए । यह अस्पताल विश्वविद्यालय के पैनल में है । डा. गौरव भारद्वाज ने यह सुझाव मुझें इसलिए दिया था क्योंकि मैं दोनों घुटनों के

...3/–

बल चलता हूं जिसके कारण दायें हाथ की तरफ घुटने में जख्म हो गया था और गंभीर सर्वेक्षण करने के बाद उनका कहना था कि मुझे घुटनों के बल नहीं चलना चाहिए । इस कारण से ही मुझे जख्म हुआ है । घुटने पर दबाव पड़ने के कारण मुझे घुटने में हमेशा दर्द रहता है और जख्म होता है । इससे बचने के लिए मुझे अनिवार्य रूप से मोटोराइज्ड व्हील चेयर का उपयोग करना चाहिए । इसके उपरान्त मैंने कालेज प्रशासन को पत्र लिखा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया । फिर मैं डा. गौरव से मिला । दिनांक 20.02.2016 को डॉ. गौरव ने आश्चर्यचकित होकर बोला कि क्या आपको अभी तक व्हीलचेयर नहीं दिया गया है । उन्होंने फिर से मुझे सुझाव दिया कि मुझे मोटेराइज्ड व्हीलचेयर का अवश्य उपयोग करना चाहिए । उन्होंने मुझे 10 दिन का बैड रैस्ट का सुझाव दिया । इसके बाद मैंने कालेज प्रिंसिपल को पत्र लि.खा । कालेज प्रिंसिपल ने 11.07.2016 को मुझे पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को फण्ड के लिए लिखा है । फण्ड आने पर हम आपको व्हीलचेयर दे देंगे । लेकिन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का यह नियम है कि स्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारी को कालेज अपनी तरफ से या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो फण्ड भेजती है, उसकी तरफ से व्हीलचेयर मुहैय्या करानी चाहिए । मुझे अभी तक कोई व्हीलचेयर नहीं दिया गया है और मेरे घुटनों में हमेशा दर्द रहता है । चलने में मुझे दिक्कत होती है । इसके बावजूद मैं अपने स्वास्थ्य को खतर ` में डालते हुए कालेज में क्लासेज़ ले रहा हूं । मैं आग्रह करता हूं कि यह न्यायालय मुझे व्हीलचेयर दिलाने की कृपा करे जिससे में ठीक ढंग से कालेज प्रांगण, पुस्तकालय, कैंटीन, सम्मेलन कक्ष व अन्य स्थानों पर आसानी से आ जा सकूं । मैं व्हीलचेयर न होने के कारण इन स्थानों पर नहीं जा पाता हूं ।

9. शिकायतकर्ता को सुनने तथा मामले से संबंधित अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन और सरकारी दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए इस आदेश की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता का मोटोराइज्ड व्हीलचेयर मुहैय्या कराएं तथा इसकी अनुपालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भेजें ।

10. मामले का तदनुसार निपटारा किया गया ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त निःशक्तजन